

न्यायालय नायब तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 01/NT/18 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

बनाम

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये  
पटवारी हल्का झ. 5119

श्री हेजम व्या पुत्र श्री मूसा व्या  
जाति मूसा व्या निवासी धरसा  
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

"निर्णय"

दिनांक 04/10/18

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उपस्थिति। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झ. 5119 ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने मौका धरसा के खसरा नम्बर 1437 रकबा 760-16 बीघा में से 0.05 बीघा किस्म क्र. सु. गो. प्र. राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ / गैरसायल ने उपस्थित होकर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण करना स्वीकार किया।


अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षरे पचास रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।


पटवारी हल्का झ. 5119 को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करे।

टी. आर .ए ,पटवारी हल्का , निरीक्षक भूअ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर .ए के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 04/10/18 को सरेआम सुनाया गया।

जुमाना 50 फसल नि. —  
कुल योग 50 रजि. के पृष्ठ सं. 18  
वर्ष 2018-19 में इन्द्राज किया गया।

  
तहसील राजस्व लेखाकार

  
नायब तहसीलदार  
गडरारोड़